संख्या-66/2015/528/71-1-2015-जी-24/2015

प्रेषक

शैलेन्द्र नाथ शुक्ल,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 25 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में हो रही बचतों एवं वांछित धनराशि हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015/474, दिनॉक 13-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में हो रही बचत रू0 9,26,91,000/- (रू0 नौ करोड़ छब्बीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष मेडिकल कालेज, आगरा हेतु मानक मद-09-विद्युत देय में रू0 40,00,000/- (रू0 चालीस लाख मात्र), 21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन के लिए रू0 33,00,000/- (रू0 तैतीस लाख मात्र), मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु मानक मद-09-विद्युत देय में रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र), मेडिकल कालेज, इलाहाबाद हेतु मानक मद-09-विद्युत देय में रू0 50,00,000/- (रू0 पचास लाख मात्र), 21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन के लिए रू0 1,20,00,000/- (रू0 एक करोड़ बीस लाख मात्र), मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु मानक मद-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन के लिए रू0 13,20,000/- (रू0 तेरह लाख बीस हजार मात्र), मेडिकल कालेज, झॉसी हेतु मानक मद-10-जलकर तथा जलप्रभार के लिए रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख मात्र), 21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन के लिए रू0 2,00,00,000/- (रू0 दो करोड़ मात्र), मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु मानक मद-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन के लिए रू0 1,60,75,000/- (रू0 एक करोड़ साठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) तथा हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु मानक मद-01-वेतन में रू0 34,53,000/- (रू0 चौतीस लाख तिरपन हजार मात्र), 03-मंहगाई भत्ता में रू0 48,59,000/- (रू0 अड़तालिस लाख उनसठ हजार मात्र), 06-अन्य भत्ते के लिए रू0 6,60,000/- (रू0 छः लाख साठ हजार मात्र), 09-विद्युत देय में रू0 1,10,24,000/- (रू0 एक करोड़ दस लाख चौबीस हजार मात्र) कुल रू0 9,26,91,000/- (रू0 नौ करोड़ छब्बीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-38-मेडिकल कालेज, आगरा-09-विद्युत देय-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-39-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर-09-विद्युत देय-40-मेडिकल कालेज, इलाहाबाद-09-विद्युत देय-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-41-मेडिकल कालेज, मेरठ-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-42-मेडिकल कालेज, झाँसी-10-जलकर/जलप्रभार-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-44-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट-01-वेतन-03-मंहगाई भत्ता-06-अन्य भत्ते-09-विद्युत देय" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-498/दस-2015, दिनॉक 25 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

( शैलेन्द्र नाथ शुक्ल )
अनु सचिव

संख्या:-66/2015/528(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी तथा गोरखपुर।
3- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी तथा गोरखपुर।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी तथा गोरखपुर।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in